फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री भंवरदास **विपक्षी :– श्री शंकरदास**

किस्म मुकदमा – विविध आ. 9 नि. 4 जा.दी. **पत्रावली संख्या :14/22**

जीसीएमएस : 2022/26

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 06.09.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी सं. 1, 2, 8 की ओर से अधिवक्ता श्री भरतसिंह राव द्वारा वकालतनामा मय प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 जा.दी. का पेश किया। शामिल फाईल रहे। नकल दिलाई गई। विपक्षी सं. 2, 3/1, 3/5, 5, 6/1, 6/4 से 6/8 के विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी सं. 3/2 से 3/4, 4, 6/2, 6/3 के सम्मन बाद तामील प्राप्त। अनुपस्थित हैं। अतः अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते हैं। उभय पक्षकारान की प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 जा. दी. एवं प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 जा.दी पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। वादी द्वारा दिनांक 11.02.2022 को प्रार्थना पत्र मय धारा 5 के प्रस्तुत किया हैं। वादी को अधिवक्ता द्वारा पेशी पर न्यायालय में हाजिर होने की सूचना नहीं दी जिस कारण प्रार्थी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकने एवं ना ही अधिवक्ता स्वयं पेशी पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकने का कथन करते हुए धारा 5 अवधि अधिनियम के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। चूंकि जानकारी में आते ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने से प्रार्थना पत्र अन्दर मयाद होने से धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। अधिवक्ता विपक्षी सं. 1, 2, 8 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 जा.दी. का स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर विपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर मूल वाद में विपक्षी के विरूद्व की गई एकतरफा कार्यवाही को अपास्त किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 जा.दी. स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर मूल पत्रावली के अवलोकन से वादी मय अधिवक्ता वादी दोनो ही अनुपस्थित रहने पर दिनांक 29.01.2019 को उभय पक्ष की अनुपस्थिति में वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका हैं। वाद दिनांक 29.01. 2019 को अदम हाजरी में खारिज होने के पश्चात् लगभग 3 वर्ष बाद यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थी को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए। कृषि भूमि से सम्बन्धित वाद होकर मामला हक अधिकारों का हैं। अधिवक्ता पक्षकारान द्वारा भी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया साथ ही मूल वाद में की गई एकतरफा कार्यवाही को अपास्त किया जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन से मूल वाद सं. 335/10 वाद अनवान भंवरदास बनाम शंकरदास दिनांक 29.01.2019 को वादी मय अधिवक्ता वादी दोनो अनुपस्थित रहे हैं, जिस कारण दिनांक 29.01.2019 को वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र माकूल कारण बताया जिससे यह न्यायालय संतुष्ट हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 जा.दी. एवं विपक्षी सं. 1, 2, 8 का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 जा.दी. का न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.25 15:46:00 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 जा.दी. का 500/— पांच सौ रूपये कोस्ट पर एवं विपक्षी सं. 1, 2, 8 का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 जा.दी. का 500/— रूपये कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के प्र.स. 335/10 वाद भंवरदास बनाम शंकरदास में आदेश दिनांक 29.01.2019 को अपास्त किया जाता है तथा मूल वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाने का आदेश दिया जाता है तथा मूल वाद में विपक्षी सं. 1, 2, 8 के विरूद्व दिनांक 20.10.2014 को की गई एकतरफा कार्यवाही के आदेश को अपास्त किया जाता हैं। प्रकरण में उभय पक्षकारान उक्त कोस्ट की राशि राजकोष मे जरिये चालान जमा करा चालान की प्रति पत्रावली में पेश करे। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर मूल पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.25 15:46:00 IST
Reason: SelfAttested